

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाए...

ww.jawabdosarkar.com

सूचना प्रोद्घ्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

संपर्क सूत्र:-9828346151

आलेख संख्या- 2022/rti actl/01

E-Newsletter, Issued in Public Interest

शनिवार, 19 फरवरी 2022

रटीआई कार्यकतीओ पर लगातार ह सूचनाअं परताला ॥ भ्रष्टाचारका बालबाला ॥



विशेष रिपोर्ट-1

त्रिका न्यूज़ नेटवर्क

atrika.com

गृंझुनूं. कपड़ा व्यापारी व आरटीआइ गर्यकर्ता पर बुधवार रात स्कूटी पर र जाते वक्त हमला करने के मामले तीन लोगों के खिलाफ षड्यंत्र चकर जीप से टक्कर मारने का ामला दर्ज किया गया है। अशोक ोदी कई सालों से अवैध भवन मर्गण करने वालों के खिलाफ गरटीआइ के तहत सूचना मांग रहे । अनेक आरटीआइ पंजीयन गर्यालय में भी लगा रखी है।

झुंझुनूं. आरटीआई कार्यकर्ता को टक्कर मारने का सीसीटीवी फुटेज।

को टक्कर मारते हुए उसे कुचलने की कोशिश की। वहां पर मौजूद **झुंझुनूं.** कपड़ा व्यापारी व आरटीआई कार्यकर्ता अशोक मोदी

रंजिशवश विशाल अग्रवाल, उसव पिता नेमीचंद अग्रवाल व प्रदी पाटोदिया ने जीप से टक्कर मरव

बाडमेर भारकर

र्धारीमन्ना • गुड़ामालानी • शिव • सिणधरी 🛑 चौंहटन • गडरारीड • बायतु • सेड़वा

आयोग ने कलेक्टर व

मानवाधिकार आयोग की सख्त टिप्पणी; घटना से पुलिस व अपराधियों में गठजोड़ उजागर RTI कार्यकर्ता का अपहरण, सरियों से पीटकर पैरों में घुसाकर घुमाए कीलें ठोकी व पेशाब पिलाया, फिर फोन पर बोले बदमाश...मिशन पूरा

हद पार

भारतार संवाददाता | बाहके

गिड़ा क्षेत्र के चीमाणियों की वाणी निवासी एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत में याप्त भ्रष्टगचार व अवैध शराब बेचने की शिकायत के बाद उसक अफारण कर बर्बरतापूर्वक मारपीट कर अधमरा कर फेंक्र दिया। आस्टीआई कार्यकर्ता के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। स्कार्पियों में आए 8 बदमाशों ने पीछा कर उसका अपहरण किया और कुंपलिया गांव में सुनस्तान जगह पर बेरहमी में पीटा।

जगह पर बरहमा स पाटा। बदमाशों ने युक्क के पैरों को सरियों से तोड़ दिया। पैरों में हथोड़े से लोहे की कीलों को टोक दिया। सरिये को पैर के आर पार पुसा दिया। 6 जगह सरिए उसके पैरों से आमने-सामने डाल मांस निकाल दिया। दोनों पैरों व एक हाथ की हड़ियों को जगह-जगह से तोड़ दिया। चदमाशों ने युवक को जबस्दस्ती पेशाब भी पिलाया। अपहरण के एक घंटे मारपीट कर वापिस उसी जगह पर फेंक कर भाग गए। 36 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। एसपी दीपक भागंव का कहना है कि आरोपियों को रफ्तारी के लिए चार टीमें बनाई गई जो भी आरोपी है उनको छोड़ा

पीटते हुए आरोपियों ने कहा; शराब ठेकेदार व सरपंच के खिलाफ आरटीआई लगाते हो, आज जिंदा नहीं छोडेंगे



सरपंच व अवैध शराब के खिलाफ शिकायत का लिया बदला

आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम पुत्र किरताराम जाट निवासी चिमोणियों की ढाणी ने पुलिस धाना गिडा को रिपोर्ट देकर बताया कि 21 दिसंबर को जोधपुर गया था। शाम 7 बजे वापस घर लीट रहा था। बस से उतर कर पैदल ही जसोड़ों की बेरी जा रहा था। इसी दौरान एक सफेद रंग की स्कार्पियों में 6 लोग मुंह बांधे हुए उतरे और पीछा कर उसे फकड़ गाडी में डाल दिया। अपहरण कर सुनसान जगह पर ले गए। दो लोग गाड़ी में बैठे रहे। बदमारों ने कहा कि पिछले काफी दिनों से कुंपलिया पूर्व सरपंच नगराज, वर्तमान सरपंच ममत, मानाराम पुत्र भोलाराम जाट, नेमाराम लखाग शराब देकेंद्रार परेऊ के खिलाफ शिकायतें और आस्टीआई लगा रहे हो। आज जिदा नहीं छोड़ेंगे। कुंपलिया में सुनसान जगह पर उसे गाड़ी से नीचे उतार सभी 8 लोग सरिया, लाठियों, चैन, वापर से वर्बरतापूर्वक

पैरों से कीलें निकाली, जोधपुर किया रेफर

गंभीर घायलावस्था में अमराराम को उसके फ्ता किस्ताराम, भाई भीमाराम गाडी में डाल कंपलिया अस्पताल के बाद बालोतरा के नाहटा अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम का इलाज शुरू किया। दो पेर और एक हाथ पैजनस था। पेरों में लोहें को बीलें ठोको हुई थी, डॉक्टरों ने बड़ी मशक्कत के बाद कीलों को पेरों से निकाला।

दो पैर. एक हाथ तोडा. पैरों में कीलें ठोक दी



वर्बरता की हदें तो तब पार हो गई जब मारपीट में युवक के शरीर के अंग-अंग से खून बह रहा था, फिर भी बदमाशों को इंसानियत के नाम भी रहम नहीं हुआ। युवक के दोनों पैरों में सरिए डाल 6 छेद कर दिए। इसके बाद लोहे की कीलों को पैसे में ठोक दिया गया। युक्क दर्द से चिल्लाता रहा, हाथ जोड़े, पर पकड़े फिर भी नहीं माने। अंत में

बदमाशों ने युक्क को पेशाब पिलाया। अंत में बदमाशों ने पोन कर कहा कि मिशन पूरा हो गया है। इसके बाद युक्क अमराराम को जब हो अपरापा किया था तहाँ दिन कर सकी गा।

हमले की वजहः शिविर में की थी पंचायत के कार्यों और अवैध शराब बेचने की शिकायत

तराम ने प्रशासन गांवों के संग जगराम की लागी अमराध्यम ने प्रशासन गांवा के संग जगराम को ढाणा शिवर में 15 दिसंबर को कुंचलिया पंचायत के नरेगा कार्यों में वित्तीय गड़बड़ी, चटिया सामग्री, आवास योजनाओं में अनिपमितता की शिकायत को थी। इसके अलावा परेक में अवैध बांच लगा शराब बेचने की शिकायत की थी। इसके बाद 19 दिसंबर को एसपी के निर्देश पर डीएसटी टीम ने दक्शि देकर शराब पकड़ी थी। आरोप था कि गिड़ा थाना पुलिस भी आरोपियों से मिली हुई है, शिकायत के बाद भी अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही थी। अब आरटीआई कार्यकर्ता ने पूर्व सरपंच नगरज व उसके आरटाअह कार्यकता न पूर्व सर्राय नगराज व तराज मुर्गों पर प्राणातक हमता करने का आरोप लगाया है। कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया पर हमले व धमकी मिलन की भी सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद भी कार्रवाई नहीं को गई। अवैध शराब की बरामदगी की एसपी ने लीएसरी रीम से कार्रवाई करवाई थी। इस की एसपा ने डाएसटा टाम स कारवाइ करवाइ वा। इस घटना के बाद गिड़ा थाना पुलिस अधिकारियों व जवानों पर भी संलिप्तत के आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने

एसपी को तलब किया गिडा के अमराराम प्रकरण में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष

जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने ओमाराम बंजारा चोटिया पाली के प्रार्थना पत्र पर आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम गोटारा पर हुए हमले पर एक आदेश जारी करते हुए महानिदेशक पुलिस राजस्थान, आबकारी आयुक्त उदयपुर, बाइमेर कलेक्टर, एसपी को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। नीटिस में बताया कि हमले के पीछे अपराधियों व पुलिस की आपसी गठजोड़ उजागर हो रही है। अमराराम पर हमले में क्रूरता की हुँदें पार की गई। नोटिस में पांच सवाल करते हुए उनका जवाब 28 दिसंबर तक मांगा है। एसपी बताएं कि अमरासम् के पैरों में कीलें गाडने वाले आरोपियों व शराब माफिया में संलिप्त के खिलाफ क्या-क्या सालच के ग्रिड कार्यवाही की गई। आयुक्त आवकारी विभाग बताए कि पीटिन की शिकायन पर क्या कार्यवाही की। कलेक्टर अवगत करवाए कि कुंपलिया पंचायत में ग्रेवल सड़क निर्माण व अन्य शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई। आयोग ने इन सभी बिंदुओं पर जवाब 28

एसपी बोलेः हमलावरों को नहीं छोडेंगे. ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं

एसपी टीपक भागंत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी नरपतसिंह को मीके पर भेजा। इसके बाद



की टीमें बनाई गई। एसपी ने कहा कि युवक के साथ मारपीट और बबरता बदांश्त नहीं होगी। बुधवार को एसपी भागंव स्वयं मौके पर पहेंचे। घटनास्थल का खुद ने बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। पुलिस की टीमें कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की तलाश कर रही है।

१२ राज्य | ६१ संस्करण

dainikbhaskar.com

बाइमेर, शुक्रवार, २४ दिसंबर, २०२१

पौष, कृष्ण पक्ष-५, २०७८

बाडमेरः आरटीआई कार्यकर्ता से क्ररता करने वाले 4 पकडे गिडा थानाधिकारी जयराम लाइन हाजिर व बीट कांस्टेबल सस्पेंड

हक की जुबांबंदी; प्रदेश में आरटीआई एक्टिविस्ट पर 16 हमले, दो हत्याएं... किसी के पैरों में कीलें ठोंकी, किसी की थाने में मौत



25 दिन. 25 गाउंड रिपोर्ट

भारकर संवाददाता | बाइमे

कुंपलिया ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम गोदारा से क्रस्ता और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 48 घंटे बाद 4 आरोपियों को पकड़ा है। पीड़ित ने जिन आरोपियों के नाम लिए वे राजनीतिक रसूख के कारण पुलिस पकड़ से दूर हैं। पुलिस और अपराधियों के बीच गठजोड़ के आरोप लगने के बाद एसपी दीफ्क भागंव ने गिड़ा थानाधिकारी जयराम को लड़न हाजिर व बीट कांस्टेबल हॉरराम को सस्पेंड किया है। घटना में इस्तेमाल स्कापियों बरामद कर ली है। फेन 17 मीफर्डे



राजस्थान में तैयार हुई थी आरटीआई की जमीन, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण एक्ट 6 साल पहले संसद से पास. अब तक नियम नहीं बने

मनोज शर्मा. जयपुर | आरटीआई की पहली आवाज 1990 में अजमेर से उठी थी। तब आईएएस की नीकरी छोड़ने वाली अरुणा क्कालात पास निक्षिल हे व प्रामीण शंकर सिंह ने धरना दिया था। 2005 में कानन भी आ गया. लेकिन अब यही राजस्थान आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए असुरक्षित हो गया है। देशभर में आस्टीआई कार्यकर्ताओं पर 465 हमले हो चुके हैं, वहीं 96 ने जान गंवाई। • प्रदेश में 16 हमले हुए, दो (कोटा निवासी रावसिक



तसवीर अज़मेर के ब्वावर के सांग गेट की हैं। 6 अपेल, 1996 से 40 दिन तक कमेटी करें और दायरे में पूरा संस्वान गुजर व जोधमुर निवासी शेमू विगनोई) की हत्या हुई। अजदूर किसन शक्ति संगठन ने धरना देकर असरीआई की मांग की थी।

धारटीधाई श्रांदोलन से चट्टे निस्तिल डे ने बताया- ऐसे रुकेंगे हमले... संसद 2015 में व्हिसल ब्लोअर संशोधित एक्ट पारित कर चकी है। इसमें सुरक्षा का प्रावधान है। सरकार ने आज तक रूल्स नहीं बनाए। 2. कार्यकर्ताओं पर हमले की जांच मरेर

दैनिक भास्कर मे प्रकाशित खबर से साभार

झुनूं: जीप से टक्कर मारी, तीन के खिलाफ मामला दर्ज

अवैध निर्माण पर मोर्चा खोलने वाले आरटीआइ कार्यकर्ता पर हमला

गत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

झंझुनुं. कपड़ा व्यापारी व आरटीआइ कार्यकर्ता पर बुधवार रात स्कूटी पर वर जाते वक्त हमला करने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ षडयंत्र रचकर जीप से टक्कर मारने का मामला दर्ज किया गया है। अशोक मोदी कई सालों से अवैध भवन नेर्माण करने वालों के खिलाफ आरटीआइ के तहत सूचना मांग रहे हैं। अनेक आरटीआइ पंजीयन ऋार्यालय में भी लगा रखी है।

व्यापारी ने रिपोर्ट दी कि बुधवार रात साढे आठ बजे के करीब वह स्कूटी से घर जा रहा था। घर के <mark>यवसाया का कुचलन का प्रयास • काट म लगाइ याचिका वापस नहा लन पर हमल का आरा</mark> अपनी साड़ी की दुकान को बंद कर तरफ से एक जीप आई और स



झंझनं. आरटीआई कार्यकर्ता को टक्कर मारने का सीसीटीवी फुटेज।

को टक्कर मारते हुए उसे कुचलने की कोशिश की। वहां पर मौजूद लोगों ने भी उसे रोकने की कोशिश की लेकिन आगेगी जीए को क्या ने

झुंझुनूं. कपड़ा व्यापारी व

आरटीआई कार्यकर्ता अशोक मोदी

रंजिशवश विशाल अग्रवाल, उसके पिता नेमीचंद अग्रवाल व प्रदीप पाटोदिया ने जीप से टक्कर मरवा

महुंचते ही गाडिया टाउन हाल <mark>जूलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर एक</mark> है भारोपी को गिरफ्तार किया, बोलेरो भी जब्त की

भास्कर संवाददाता | इंझन्

हर में बुधवार रात वस्त्र व्यवसायी र आरटीआई कार्यकर्ता को गाड़ी कुचलने के प्रयास के मामले में लस ने एक युवक को गिरफ्तार र बोलेरो जब्त की है। पुलिस के ताबिक वस्त्र व्यवसायी अशोक मोदी टक्कर मारकर भागने वाली बोलेरो एमवी एक्ट में जब्त किया गया है। फिलहाल आरोपी विशाल ग्रवाल को पुलिस ने शांतिभंग में रफ्तार किया है जबकि मामला हत्या प्रयास का दर्ज किया गया है। पुलिस

> का गांधी चौक न्म है। अशोक



टांई के आरटीआई कार्यकर्ता ने भी प्रधानमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई

विसाज | निकटवर्ती टाई में एक आस्टीआई कार्यकर्ता अमानत अली नेने सरपंच और उसके समर्थकों पर झुठे मामले दर्ज करवाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ता ने इस मामले में प्रधानमंत्री को पोर्टल पर पत्र भेजा है और सुरक्षा की मांग की है। पत्र में बताया कि उसकी ओर से टाई ग्राम पंचायत की मनरेगा में जेसीबी से काम करवाने की शिकायत मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर की गई है। जिसके बाद से ही सरपंच और उसके समर्थक असके खिलाफ झुठे मामले दर्ज करवा रहे हैं। 16 फरवरी को जब वह पंचायत कार्यालय गया तो सरपंच पक्ष की कुछ महिलाओं ने उस पर छेड़छाड़ के झूठे आरोप लगा दिए।

बजे दुकान से घर जा रहे थे। घर के बाहर स्कूटी सड़क किनारे खड़ी की थी। इसी दौरान पीछे से आई बोलेरो ह पता लगा रही है कि यह हादसा है ने सड़क किनारे खड़े अशोक मोदी को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बोलेरो चालक गाड़ी को भगा ले गया। इस हादसे में अशोक मोदी के

कैद हो गई। इस संबंध में मोदी रोड निवासी वस्त्र व्यवसायी अशोक मोदी पाटोदिया है। आरोपियों ने उसे फ ने विशाल, नेमी अग्रवाल व प्रदीप पाटोदिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जिसमें बताया कि बुधवार रात साढे आठ बजे दुकान से मोदी रोड स्थित घर जा रहा था। अज्ञात वाहन पैर व पसलियों में चोट आई हैं। यह ने पीछा कर टक्कर मारी। जिससे वह

मोदी बुधवार रात करीब साढे आठ घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उछल कर दूर जा गिरा। इस घट में विशाल, नेमी अग्रवाल व प्रदं पर मारने की धमकी दी थी। ये लं एक मंदिर से जुड़े अतिथि भवन अवैध निर्माण के खिलाफ की शिकायतों को वापस लेने हाईक में लगाई गई याचिका वापस लेने व दबाव बना रहे थे।

राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर मे प्रकाशित खबर से साभार

आरटीआई कार्यकर्ताओ पर लगातार हमले!!!!

गाँव के विकास संबंधी जानकारी मांगने पर बीकानेर के अमराराम के पांवो मे किले ठोक दी गयी:-राजस्थान मे आरटीआई कार्यकर्ताओ पर हमले की घटनाए लगातार बढ़ती जा रही है|पिछले साल दिसंबर माह मे बीकानेर के श्री अमराराम पर कुछ लोगो द्वारा अगवा कर, उस पर कातिलाना हमला कर उसे मरणासन्न हालत मे ला दिया|मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार श्री अमरराम को सरियो से बुरी तरह पीटा गया और उनके पांवो पर किले ठोंक दी गयी|हमले के बाद जनता का आक्रोश बढ्ने पर सरकार को मामले की जांच सीआईडी को सौंपनी पड़ी|

अवैध निर्माण की सूचना मांगने पर झुञ्झुनु के अशोक मोदी को बोलेरों से कुचलने का प्रयास किया गया:-यह मामला थमा नहीं था कि झूंझुनु के एक और आरटीआई कार्यकर्ता श्री अशोक मोदी पर तीन दिन पहले बोलेरों जीप चढ़ा कर उन्हे जान से मारने का कुत्सित प्रयास किया गया|पुलिस द्वारा तफ़्तीश करने पर सामने आया कि श्री अशोक मोदी द्वारा कुछ अवैध निर्माणों की सूचना मांगी गयी थी|जिससे कुपित होकर स्थानीय भूमाफियाओं द्वारा उन को जान से मारने की योजना बनाई गयी बहरहाल इस मामले मे भी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और बोलेरों गाड़ी को जब्त कर लिया गया है|

सूचनाओं पर ताला!!!भ्रष्टाचार का बोलबाला!!!

राजस्थान के परिपेक्ष्य मे आरटीआई कानून और भ्रष्टाचार के समीकरणों पर बात की जाये तो पता चलेगा कि राजस्थान में जहां एक साजिश के तहत आरटीआई को गर्त में ला दिया गया है, वहीं भ्रष्टाचारियों का बोलबाला होता जा रहा है|अधिकांश मामलों में आरटीआई कानून की किमयों का बेजा फायदा उठाते हुए,भ्रष्टाचार से संबन्धित सूचनाए देने से मना कर दिया जाता है|अपीलों की बात करे तो अपीलों प्राधिकरणों का भी बुरा हाल है|प्रथम अपील पर अमूमन सुनवाई नहीं की जाती,सुनवाई की भी जाती है तो संबन्धित लोक सूचना अधिकारी के निर्णय को सही बता दिया जाता है|जब थकहार कर सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया जाता है तो वहाँ भी लंबी लंबी तारीखों के अलावा प्रार्थी को कुछ हाथ नहीं लगता|

भ्रष्ट राजनेताओ,अधिकारियों,व्यापारियों और छूटभइये समाचार पत्रों का नापाक गठजोड़!!!

ऐसे मामलो में स्थानीय भ्रष्ट राजनेताओ,अधिकारियों,व्यापारियों और छूटभइये समाचार पत्रों का नापाक गठजोड़ एक सिंडीकेट के रूप में काम करते हुए, भ्रष्टाचार को पोषित करने के काले कारनामों में लिप्त देखा जा सकता है|आरटीआई कार्यकर्ता से वकील बने श्री गोवर्धन सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है|एक समय में स्थानीय राजनेताओं की शह पर स्थानीय पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध झूठे मुकदमें लगा कर उनकी हिस्ट्रिशीट तक खोल दी गयी थी|लेकिन श्री गोवर्धन सिंह की जीवटता और अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रबल इच्छाशक्ति के चलते,उन्होंने ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अपना धेर्य नहीं खोया और लड़ाई जारी रखी|जिसके चलते,माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उनके मामलों में संज्ञान लेते हुए,उनके विरुद्ध दर्ज सभी मुकदमों की जांच कर,उन्हें उनके विरुद्ध दर्ज सभी मामलों को झूठा बताते हुए,उन्हें निर्दोष साबित किया| ऐसे कई मामले राजस्थान के हर उस छोटे बड़े आरटीआई कार्यकर्ता से जुड़े हुए मिल जाएंगे जो स्थानीय भ्रष्ट राजनेताओ,अधिकारियों,व्यापारियों और छूटभइये समाचार पत्रों मालिकों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते आए है|ऐसे असामाजिक तत्व भले ही आरटीआई कार्यकर्ताओं को बुराभला कहते नजर आए लेकिन देर सवेर उन्हें उनके काले कारनामों की सजा मिल कर ही रहती है|